(3)

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–2/एम0एम0(बा0)33/16–607/एम0, पटना, दिनांक–30.1.18

प्रेषक,

E-mail/Fax

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– पुलिस बल/सैप के कमांड एवं कंट्रोल के निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः– गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार का पत्रांक–438, दिनांक–15.01.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–26.12.2017 को खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रतिनियुक्त सैप बल के कमांड एवं कंट्रोल के निर्धारण एवं नगर निगमों में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के संबंध सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

30/1/18

विश्वासभाजन

30/1/18

सरकार के अवर सचिव

D/M/AL/DRAFT

पत्र संख्या–8 / विविध–10–76 / 2017 गृ0आ0 435

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधक विभाग,
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
नगर विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15.01.2018

विषयः– **अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किये गये पुलिस बल / सैप के कमांड एवं कंट्रोल के निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रतिनियुक्त सैप बल के कमांड एवं कंट्रोल के निर्धारण एवं नगर नियमों में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
11.1.18

(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

This may be informed to the concerned mining officers

निदेशक खान का कोषांग
प्राप्ति सं0 एवं तिथि 354/16-1-2018

पदाधिकारी और योजनाधिकारी बिहार पुलिस पदाधिकारी बिहार पुलिस मैनुअल के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।

(vi) सैप जवानों को आवंटित किये गये क्षेत्र एवं तत्संबंधी प्रतिनियुक्ति वाले जिले के पुलिस केन्द्र में रखे जायेंगे तथा वहीं से प्रतिनियुक्ति स्थल के लिए आर्म्स द्वारा प्रस्थान किया जायेगा। जिन जिलों में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का बैरक उपलब्ध है और वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, उन जिलों में इस प्रकार प्रतिनियुक्त सैप जवानों के अस्त्र एवं गोला बारूद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के बैरक में भी रखे जा सकेंगे।

(vii) सैप जवानों के सुचारूरूपेण परिचालन के लिए वाहन/ईंधन की आपूर्ति उन्हें प्रतिनियुक्त करने वाला विभाग करेगा।

(viii) प्रतिनियुक्ति अवधि में सैप बल के जवानों का अवकाश आदि संबंधित विभाग (खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) के पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जायेगा किन्तु उनका आमद एवं प्रस्थान सैप/पुलिस केन्द्र की दस्त–पंजी में होगा।

(ix) खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रतिनियुक्त सैप बल अथवा भविष्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले सैप जवानों का वेतन/यात्रा भत्ता आदि का भुगतान बिहार पुलिस द्वारा किये जाने के बिन्दु पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(x) चूँकि बिहार सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण, नक्सलवाद नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था के कार्यों में सहायता हेतु बिहार पुलिस के अन्तर्गत सैप बल का गठन किया गया है, इसलिए पुलिस मुख्यालय द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सैप की प्रतिनियुक्ति करने हेतु सैप बल के गठन संबंधी सरकार के संकल्प में संशोधन की आवश्यकता पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया।

सैप का गठन गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के संकल्प संख्या 3379 दिनांक–27.03.2006 द्वारा विधि–व्यवस्था के संधारण, आपराधिक व विध्वंसक गतिविधियों से निपटने में उत्पन्न कठिनाईयों का सामना करने के लिए किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग अथवा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रतिनियुक्ति द्वारा भी सैप जवानों से विधि–व्यवस्था के संधारण एवं आपराधिक व विध्वंसक गतिविधियों से निपटने

खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रतिनियुक्त सैप बल के कमांड एवं कंट्रोल के निर्धारण एवं नगर विकास व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत, प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा किया गया।

2. बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रतिनियुक्त पुलिस बल/सैप के कमांड एवं कंट्रोल के निर्धारण तथा नगर विकास में उनके कर्त्तव्य निष्पादन के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस बल की व्यवस्था एवं उसके लिए प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सैप बल की प्रतिनियुक्ति :-

(i) सैप बल अपने नियोजन वाले जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण एवं खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे) के परिचालनात्मक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(ii) इन जवानों का कमांड संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक के अधीन होगा, जिनके समक्ष वे योगदान की शर्तों पर हस्ताक्षर करते हैं। सैप बल प्रतिनियुक्ति के जिले के पुलिस केन्द्र के बैरक में परिचारी प्रवर की देख-रेख में रहेंगे।

(iii) खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अपने अधीन प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय हेतु क्रमशः जिला खनन पदाधिकारी एवं सहायक आयुक्त/अधीक्षक, मद्य निषेध एवं उत्पाद को नोडल पदाधिकारी नामित करेगा। नामित पदाधिकारी परिचारी प्रवर से समन्वय बनायेंगे, जो सशस्त्र बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(iv) नामित पदाधिकारी द्वारा छापामारी आदि कार्यवाही संबंधित थाना की जानकारी में की जाएगी।

(v) इस प्रकार प्रतिनियुक्त सैप जवानों के कार्य स्थलों पर कार्रवाई के दौरान विधि-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभाग (खान एवं भूतत्व विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) के स्तर पर मौजूद प्रवर्त्तनकर्मी विभागीय

का कार्य भी किया जाना है। इसलिए निर्णय लिया गया कि पूर्व से निर्गत आदेश संकल्प में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

II. नगर निगम में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति –

(i) पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला पुलिस बल से पटना नगर निगम को 100 तथा मुजफ्फरपुर, गया एवं भागलपुर नगर निगम को 50-50 की संख्या में जिला पुलिस बल स्थायी रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित नगर निगम को उपर्युक्त संख्या में उपलब्ध कराये गये जिला पुलिस बल में पुलिस पदाधिकारी भी शामिल होंगे तथा उपलब्ध कराये गये बल में पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मी उचित अनुपात में सम्मिलित रहेंगे।

(ii) संबंधित नगर निगम के प्रशासक अपने नगर निगम में प्रतिनियुक्त पुलिस बल और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे।

(iii) नगर निगम में प्रतिनियुक्त पुलिस बल संबंधित जिले के पुलिस केन्द्र में रहेगा। नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा उक्त पुलिस बल के सहयोग से की जाने वाली कार्रवाई संबंधित स्थानीय थाने को जानकारी में दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति स्थल पर कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए कार्य स्थल पर मौजूद संबंधित नगर निगम के प्रभारी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक/कमांड पुलिस पदाधिकारी बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

(iv) नगर निगम में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों के वेतन एवं यात्रा भत्ता आदि का भुगतान जिला पुलिस द्वारा किये जाने के बिन्दु पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।	प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य सचिव बिहार